प्रेस नोट-10

दिनांक-03.05.2024

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे "operation conviction" अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप चोरी के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 01 वर्ष 04 माह 15 दिवस कारावास की सजा सुनायी गयी।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री अनूप कुमार सिंह के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री हरेन्द्र कुमार के पर्यवेक्षण मे अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय मे चल रहे अभियोगों में "**operation conviction**" अभियान के अन्तर्गत अभियोजन अधिकारी, न्यायालय पैरोकार एवं मानीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय रायबरेली में मु0अ0सं0 402/2022 धारा-379/411 भादवि थाना मोहनगंज के अभियुक्त राजकुमार उर्फ राजू पुत्र राम प्रसाद निवासी पूरे राजा तिलोई जनपद अमेठी को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई, परिणाम स्वरुप माननीय न्यायालय ए0सी0जे0एम0- द्वितीय रायबरेली द्वारा आज दिनांक- 03.05.2024 को 01 वर्ष 04 माह 15 दिवस कारावास की सजा सुनायी गयी ।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

प्रश्नगत अभियोग मे वादी मुकदमा के दिनांक 26.12.2022 समय 18.55 बजे अभियुक्त राजकुमार उर्फ राजू पुत्र राम प्रसाद निवासी पूरे राजा तिलोई जनपद अमेठी द्वारा ट्रैक्टर की बैटरी का लाक तोडकर कई बोरी धान चोरी कर ले जाने की तहरीरी सूचना पर मु0अ0सं0 402/2022 धारा-379/411 भादवि थाना मोहनगंज पर पंजीकृत होकर विवेचक उ0नि0 श्री सुरेश चन्द्र यादव द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त आरोप पत्र संख्याः ए-41 दिनांक 22.02.2023 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।